

प्रेषक,

श्री पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 05 नवम्बर, 2007

विषय :- खनिज नीति 2001 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3498/औ०वि०-22 ख/2001, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002 के प्रस्तर 2.7 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त प्रस्तर में इंगित शर्तों/दिशा-निर्देशों के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं को पढ़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (क) 2.7 (1) "स्कूल" से पहले "आबादी" (एक स्थान पर कम से कम 5 परिवार) शब्द भी पढ़ा जाय।
- (ख) "नहर" का तात्पर्य सिंचाई/लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित या उनके नियंत्रणाधीन छोटी-बड़ी नहरों/गूलों से है।
- (ग) राज्य में पूर्व में स्थापित क्रेशरों को पुनर्स्थापित (Relocate) करने हेतु पुनः अनुमति/स्वीकृति (Fresh Approval) की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उक्त पुनर्स्थापन (Relocate) की सत्यता सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी।
- (घ) पुनर्स्थापन (Relocate), आबादी से दूर एक विशिष्ट स्थान पर एक से अधिक स्टोन क्रेशर स्थापित किए जा सकते हैं। इन स्टोन क्रेशरों के मध्य की दूरी हेतु निर्धारित मानक की शर्त लागू नहीं होगी।

2- स्टोन क्रेशरों हेतु संशोधित उपरोक्त उल्लिखित शर्तें पल्वराइजर (Pulverizer) एवं नेचुरल स्क्रीनिंग प्लांट (Natural Screening Plant) पर भी लागू होंगी।

3- उपरोक्त व्यवस्था पूर्वगामी प्रभाव से लागू की जाय, जिससे कि वर्तमान में आबादी में चल रहे क्रेशरों को तुरन्त बन्द किया जा सके।

(2)

4- उक्त शासनादेश संख्या: 3498/औ0वि0-22 ख/2001 दिनांक 17 अक्टूबर, 2002 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 5961(1)/VII-I-07/14-ख/2005, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 औद्योगिक विकास विभाग मंत्री (मा0 मुख्यमंत्री जी) उत्तराखण्ड।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. गोपन अनुभाग।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुडकी, जनपद हरिद्वार को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।